न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/125/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/251

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सियाराम पुत्र स्व. श्री रामकरण मीना, नि.ग्राम–खोह दरीबा, तहसील–टहला, जिला–अलवर (राज.)–301410		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 07.11.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 20.08.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी को उक्त अधिनियम के तहत प्रा0पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी, राजगढ द्वाा ग्राम–खोह दरीबा में किए गए भूमि आवंटन संवंधी लिस्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन दिनांकः 20.08.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रा0पत्र दिनांकः 12.10..2022 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. सू.अ./2022/2112 दिनांकः 11.11.2022 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम बिन्दुवार जवाब नोटिस पेश किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः आर.टी.आई./2022/1970 दिनांकः 19.10.2022 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में सूचना आवेदन पर विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर विलम्ब से विनिश्चय किया गया है जो उचित नहीं है व अधिनियम के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।
8. तथापि प्रेषित सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अतः अपील, अपीलार्थी **अस्वीकार कर खारिज** की जाकर निस्तारित की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विनिर्दिष्ट समयावधि में ही विनिश्चय कर आवेदकों को सूचित किया जावे।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 14.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(जीतेन्द्रसिंह नरूका)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)